"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2017—— पौष 29, शक 1938

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-8/2014/9. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2016 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.-** ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है संचालक, खेल एवं युवा कल्याण या ऐसा प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो या उसके पश्चात् किया जाये;

   (ख) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ग) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (घ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ङ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण चतुर्थ श्रेणी सेवा;

(झ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

5. **भर्ती का तरीका.**- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा.

6. **आरक्षण.**-(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

7. **शिथिलीकरण.**- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

8. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, नि:शक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

9. **निरसन.**- इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

								होना चाहिये				
2.	भृत्य	30	02	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड वेतन 1300	–तदैव–	–	(1) 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये (2) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिये	–तदैव–	–	–	–
3.	चौकीदार	01	–	–तदैव–	कलेक्टर दर	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–	–	कलेक्टर दर पर नियुक्त किया जायगा
4.	सुरक्षाकर्मी	–	02	–तदैव–	संविदा वेतन रू. 5530/–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–	–	संविदा वेतन पर नियुक्त किया जायेगा
5.	सफाईकर्मी	–	02	–तदैव–	संविदा वेतन रू. 5530/–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–	–	संविदा वेतन पर नियुक्त किया जायेगा

टीपः– (1) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा शिथिल किया जायेगा।

(2) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, के जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची के कॉलम सं. (8) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूर्ण कर ली हो तथा उक्त कॉलम में यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण न की हो।

अनुसूची
(नियम 2 देखिये)

स. क्र.	कर्तव्य पद का नाम	पदों की कुल संख्या		वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानान्तरण के माध्यम से भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये		परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवा की कालावधि	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	टिप्पणियां
		विभागाध्यक्ष एवं मैदानी कार्यालय	खेल अकादमी				आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	ग्राउण्डमेन	01	02	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200+ ग्रेड वेतन 1900	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18 से 35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था / मण्डल से 10+ 2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	—	—	—

Naya Raipur, the 30th December 2016

NOTIFICATION

No. F 1-8/2014/9. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-IV Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-IV Service Recruitment Rules, 2016.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) **"Appointing Authority"** in respect of service means the Director, Sports and Youth Welfare or such authority to whom power of appointment to the service or post has been or may hereafter be delegated by the Government;

   (b) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

   (c) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

   (d) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (e) **"Schedule"** means the Schedule appended these rules;

   (f) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (g) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (h) **"Service"** means the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-IV Services;

   (i) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules;

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment.-** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit.

6. **Reservation.-** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

   (3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

7. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

8. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accor dance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2)

Sr. no.	Name of the duty post	Total number of posts		Classification	Pay Scale	Percentage of number of duty posts to be filled in through Direct Recruitment or Promotion or Transfer	Only for Direct Recruitment		Period of Probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which promotion is to be made	Remarks
		Office of the Head of Department and Field office	Sports Academy				Age Limit	Prescribed educational qualification				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Groundman	01	02	Class-IV	5200-20200 +Grade Pay 1900	100% through direct recruitment	18 to 35 years	Should have passed 10+2 examination from any recognized Educational Institution/ Board Or Should have passed Old Higher Secondary Examination with 1st year examination of graduation in any subject from recognized University	2 years	------	------	-----
2.	Peon	30	02	--do--	4750-7440 + Grade Pay 1300	--do--	------	(1) Should have passed Class 8th	-do--	------	------	-----

								Examination (2) Candidate should have knowledge of cycling				
3.	Watchman	01	-	--do--	Collectorate rate	---do--	--do--	---do---	---do---	-----	-----	Shall be appointed on Collectorate rate
4.	Security Guard	---	02	--do--	Contractual Pay Rs.5530/-	--do--	--do--	---do---	--do--	-----	-----	Shall be appointed on Contractual pay
5.	Hygienists	---	02	--do--	Contractual Pay Rs.5530/-	--do--	--do--	--do---	--do--	-----	-----	Shall be appointed on Contractual pay

Note:- (1) Upper age limit shall be relaxable as per the directions issued by the General Administration Department of Government from time to time

(2) The candidates must have attained the minimum age as specified in column no. (8) of Schedule and must not have attained the maximum age as specified in the said column on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.